न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 35/2020

1. पंजाब नेशनल बैंक प्लाट नं0 4 सेक्टर –10 द्वारका नई दिल्ली–110075, शाखा कार्यालय– बापू नगर, जयपुर राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनोज कुमार।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स सरस्वती विद्या विहार समिति पता–वार्ड नं0 22, सरस्वती विद्या विहार स्कूल, ग्राम जागीर बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा।
2. श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी पता– वार्ड नं0 23, सिकन्दरिया का बास, बांदीकुई तहसील बसवा, जिला दौसा।
3. श्री छगन लाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी पता– 100, सिकन्दरिया का बास, बांदीकुई, दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री महेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 03.09.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी श्री मैसर्स सरस्वती विद्या विहार समिति पता–वार्ड नं0 22, सरस्वती विद्या विहार स्कूल, ग्राम जागीर बांदीकुई, तहसील बसवा, जिला दौसा को 2,36,00,000/–(रूपये दो करोड़ छत्तीस लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को सुना गया। हमने प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी/बंधककर्ता को रजिस्टर्ड डाक एवं जरिये 02 समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई अप्रार्थी श्री लेखराज सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी एंव छगन लाल सैनी पुत्र श्री नारायण लाल सैनी की सम्पति प्लॉट नं0 1–ए एरिया 218 वर्गगज, प्लॉट नं0 1–बी एरिया 931 वर्गगज एवं प्लॉट नं0 2 एरिया 266.66 वर्गगज जो कि खसरा नं0 796 में वार्ड नं0 22, गांव जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 03 सितम्बर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा